

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2037
उत्तर देने की तारीख 05.08.2026
बुधवार, 14 श्रावण, 1948 (शक)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में रिक्तियाँ, रोजगारयोग्यता और प्रासंगिकता

2037. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में राज्य-वार और ट्रेड-वार संस्वीकृत सीटें, वास्तविक नामांकन और रिक्त सीटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईटीआई की सीटों के लगातार रिक्त रहने के कारणों का आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान नियोजित, आगे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे या स्व-नियोजित आईटीआई स्नातकों का ट्रेड-वार प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या आईटीआई पाठ्यक्रमों को आईटी, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों में उपलब्ध वर्तमान रोजगार अवसरों के अनुरूप बनाया जा रहा है; और

(ङ) क्या आईटीआई सुधारों, उद्योग संपर्कों और पाठ्यक्रम अद्यतनीकरण का कोई स्वतंत्र आकलन कराया गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) एवं (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का कार्यान्वयन किया जाता है। वर्तमान में, सीटीएस के अंतर्गत देशभर के 13,856 आईटीआई (राजकीय-3,328 एवं निजी-10,528) के माध्यम से 170 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

आईटीआई में कुल नामांकन शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 12,25,851 से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 14,70,277 हो गया है। तथापि, विभिन्न ट्रेडों में दाखिला स्थानीय औद्योगिक आवश्यकताओं, रोजगार के अवसरों तथा प्रशिक्षुओं की पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ ट्रेडों एवं आईटीआई में अधिक नामांकन होता है, जबकि अन्य में अपेक्षाकृत कम दाखिले होते हैं, जिसके कारण कुछ प्रशिक्षण इकाइयों में सीटें रिक्त रह जाती हैं।

प्रशिक्षण अवसंरचना एवं संसाधनों का इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए डीजीटी द्वारा शून्य प्रवेश वाली प्रशिक्षण इकाइयों का समय-समय पर युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण किया जाता है। तदनुसार, जनवरी 2025 में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2023-24 के दौरान शून्य दाखिले वाली 21,069 प्रशिक्षण इकाइयों, जिनमें 4.49 लाख सीटें थीं, की संबद्धता समाप्त कर दी गई। इसके अलावा, मई 2026 में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2025-26 के दौरान शून्य प्रवेश वाली 4,292 प्रशिक्षण इकाइयों, जिनमें कुल सीटें लगभग 90,256 थीं, की भी संबद्धता समाप्त कर दी गई।

सत्र 2021-22 से 2025-26 तक सीटीएस के अंतर्गत सभी आईटीआई में राज्य-वार एवं ट्रेड-वार सीटों की संख्या तथा नामांकन का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-1** तथा **अनुलग्नक-2** में दिया गया है। चूँकि उपर्युक्त अनुलग्नकों में दिए गए विवरण अत्यधिक विस्तृत हैं, अतः इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.msde.gov.in/documents?page=1> पर अपलोड किया गया है।

(ग) सीटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संबंधित ट्रेडों में आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने तथा प्रशिक्षुओं को वेतनभोगी रोजगार के साथ-साथ स्व-रोजगार हेतु तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षु शिक्षता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं। वित्तीय-वर्ष 2021-22 से 30 जून, 2026 तक की अवधि के दौरान कुल 13,60,871 आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को शिक्षु के रूप में नियोजित किया गया है।

(घ) सीटीएस के अंतर्गत ट्रेडों के पाठ्यक्रमों को उद्योग, शिक्षाविदों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप उभरती प्रौद्योगिकियों, आधुनिक उपकरणों, उपस्करों एवं मशीनरी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सीटीएस के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की सूची **अनुलग्नक-3** में दी गई है।

चूँकि उपर्युक्त अनुलग्नकों में दिए गए विवरण अत्यधिक विस्तृत हैं, अतः इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.msde.gov.in/documents?page=1> पर अपलोड किया गया है।

(ङ) डीजीटी द्वारा वर्ष 2024 में औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) परियोजना के अंतर्गत उन्नत किए गए आईटीआई से उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के रोजगार परिणामों का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रेसर अध्ययन कराया गया। इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023 में "ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स" शीर्षक से एक अध्ययन किया गया, जिसमें आईटीआई इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं की जांच की गई।
